कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांकः 168 दिनांक– 11-03-24

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 150 दिनांक 29.02.2024 से माह माह मार्च, 2024 व अप्रेल, 2024 में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु दिनांक 10.03.2024 के लिए सुश्री सीमा चौहान,अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्र.सं. 1, सीकर की ड्यूटी लगायी गई थी, परन्तु अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्र.सं. 1, सीकर के प्रार्थना पत्र क्रमांक 35 दिनांक 07.03.2023 में वर्णित कारण तथा श्री हिमांशु कुमावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर की सहमति को देखते हुए पूर्व आदेश क्रमांक 150 दिनांक 29.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 10.03.2024 व 17.03.2024 को निम्न अधिकारीगण की ड्यूटी लगाई जाती हैः–

क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी
1.	10.03.2024	श्री हिमांशु कुमावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर
2	17.03.2024	सुश्री सीमा चौहान,अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्र.सं. 1, सीकर

नोटः–

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सीकर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सीकर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी.आई./2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी उक्त अधिकारीगण करेंगे।
2. **सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।**
3. **रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पोक्सो कोर्ट से संबंधित पेश की जाने वाली एफ.आई.आर. को संबंधित पोक्सो कोर्ट (पोक्सो कोर्ट क्रम –1 या पोक्सो कोर्ट क्रम –2) को ही भेजी जाना सुनिश्चित करें।**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

क्रमांक– 169-177 दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर
2– श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
3– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर
4– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्र.सं. 1, सीकर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर
5– कार्यालय, सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर
6– अध्यक्ष,बार एसोसिएशन सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/ लक्ष्मणगढ़ /दांतारामगढ़/रींगस/धोद
7– सिस्टम ऑफिसर, ई–कोर्ट प्रोजेक्ट, सर्वर बेसमेंट, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
8– इंचार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, सीकर
9– आदेश/संबंधित पंजिका

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)